भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

24.07.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 761 का उत्तर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कृभको के बीच भूमि के परस्पर व्याप्ति के मुद्दे का समाधान

761. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेल मंत्रालय के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड के बीच वरियाव, सूरत में भूमि के परस्पर व्याप्ति के मुद्दे को एक संयुक्त सर्वेक्षण तथा 22 मई, 2026 को प्रांत अधिकारी, सूरत शहर उत्तर की अध्यक्षता में हुई बैठक के माध्यम से सुलझा लिया गया है, जिसमें एक संयुक्त ज्ञापन के जरिए राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो जिला प्रशासन की सिफारिश के बावजूद डीएफसीसीआईएल द्वारा संयुक्त ज्ञापन को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि प्रस्तावित समाधान से डीएफसीसीआईएल को भूमि का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और व्याप्ति हो रही भूमि वर्ष 1982-85 में इसके अधिग्रहण के समय से ही कृभको की परिचालन रेलवे लाइन के अधीन है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): डीएफसीसीआईएल ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे पर न्यू गोठनगाम स्टेशन से कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) रेल लाइन तक रेल संपर्क प्रदान करने की योजना बनाई है, जो भारतीय रेल नेटवर्क पर एक रेल फ्लाईओवर के निर्माण के माध्यम से न्यू गोठनगाम से लगभग 6.2 किलोमीटर को कवर करती है।

इस प्रयोजनार्थ, डीएफसीसीआईएल ने 2010-2012 के दौरान 40 मीटर की चौड़ाई वाली 21.76 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया। इसके पश्चात, भूमि को राज्य प्राधिकरणों (एसएलएओ/डीआईएलआर) द्वारा भारतीय रेल के पक्ष में दाखिल-खारिज किया गया और इसे पश्चिमी रेलवे के वडोदरा मंडल को सौंप दिया गया था।

2025 में, कृभको ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ), सूरत के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि उपरोक्त 6.2 कि.मी. भूमि में से लगभग 400 मीटर का हिस्सा मौजूदा कृभको रेल लाइन के मार्ग के साथ अतिव्याप्त हो रहा है, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण 1982-85 के बीच किया गया था। बहरहाल, इस 400 मीटर के हिस्से की भूमि को पहले ही डीएफसीसीआईएल/भारतीय रेल के पक्ष में दाखिल-खारिज किया जा चुका है।

तदनुसार, भूमि अभिलेखों में सुधार के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सूरत द्वारा 18.08.2025 को एक बैठक बुलाई गई थी। इसके पश्चात, जिला भूमि अभिलेख निरीक्षक द्वारा 27.02.2026 को सभी संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से माप लिया गया था, जिसके दौरान अतिव्याप्त क्षेत्र को चिह्नित कर उसका सीमांकन किया गया था।

इसके पश्चात, उप-जिलाधिकारी (सिटी प्रांत-उत्तर), अडाजण, सूरत की अध्यक्षता में सभी संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ 22.05.2026 को अतिव्याप्त भूमि सर्वेक्षण संख्याओं और भूमि के इस 400 मीटर भाग से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

विचार-विमर्श के अनुसार, कृभको और डीएफसीसीआईएल से संयुक्त अभ्यावेदन/समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसकी जांच के पश्चात, राजस्व प्राधिकारी द्वारा भूमि अभिलेखों में सुधार और अतिव्यापन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार, जांच के लिए कृभको द्वारा डीएफसीसीआईएल के साथ एक संयुक्त ज्ञापन/संकल्प का मसौदा साझा किया गया है।

कृभको द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावित संकल्प की डीएफसीसीआईएल द्वारा जांच की गई है और डीएफसीसीआईएल के अनुसार, प्रस्तावित संकल्प के वर्तमान स्वरूप में डीएफसीसीआईएल संरेखण को समायोजित करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है और तदनुसार, डीएफसीसीआईएल ने मैसर्स कृभको से दिनांक 13.07.2026 के पत्र के तहत आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने और उसकी जांच के पश्चात ही डीएफसीसीआईएल द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

******